निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 861) पटना, शुक्रवार, 8 अक्तूबर 2021

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना

6 अक्तूबर 2021

सं.- वि.प.स्था.-60/2021(नी.वि.)- 2006(2) वि.प.,——बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम (क) एवं (ख) के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों में कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् वित्त विभाग के परामर्श से परिषद् सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग एवं सुरक्षा संवर्ग में नए पदों, पदों की संख्या में वृद्धि एवं नए डाटा संवर्ग को जोड़ने हेतु बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018 की अनुसूची–1 एवं 2 में निम्नवत् संशोधन करते हैं-

1. अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.-2 निदेशक के स्वीकृत बल कॉलम में '01 (एक)' के स्थान पर '02 (दो)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.-3 उपसचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '07 (सात)' के स्थान पर '11 (ग्यारह)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.-4 अवर सचिव के स्वीकृत बल कॉलम में '19 (उन्नीस)' के स्थान पर '24 (चौबीस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. अनुसूची-2 के क्र.सं.-2 पर अंकित प्रशाखा पदाधिकारी के 09 (नौ) पद को इस अनुसूची से विलोपित करते हुए पद संख्या के साथ अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.-5 प्रशाखा पदाधिकारी के

स्वीकृत बल में जोड़ते हुए स्वीकृत बल कॉलम में '41 (इकतालीस)' के स्थान पर '54 (चौवन)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. अनुसूची-1 के प्रशासनिक संवर्ग के क्र.सं.-6 सहायक के स्वीकृत बल कॉलम में '189 (एक सौ नवासी)' के स्थान पर '210 (दो सौ दस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-17 के स्थान पर '17(क) प्रधान मार्शल वेतन स्तर- 11 स्वीकृत बल 01 (एक)' पद जोड़ा जाता है।

7. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के उपर्युक्त नवसृजित क्र.सं.-17(क) के क्रम में '17(ख) मार्शल' वेतन स्तर- 9 के स्वीकृत बल कॉलम में '01 (एक)' के स्थान पर '02 (दो)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

8. अनुसूची-2 के क्र.सं.-5 पर अंकित सहायक मार्शल के 06 (छ:) पद को इस अनुसूची से विलोपित करते हुए पद संख्या के साथ अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-18 सहायक मार्शल के स्वीकृत बल में जोड़ते हुए स्वीकृत बल कॉलम में '03 (तीन)' के स्थान पर '11 (ग्यारह)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-19 सहायक अवर मार्शल के वेतनमान कॉलम में 'वेतन स्तर-4' के स्थान पर 'वेतन स्तर-5' प्रतिस्थापित किया जाता है।

10. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-19 सहायक अवर मार्शल के स्वीकृत बल कॉलम में '06 (छ:)' के स्थान पर '22 (बाईस)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

11. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-20 सुरक्षा प्रहरी के वेतनमान कॉलम में 'वेतन स्तर-2' के स्थान पर 'वेतन स्तर-3' प्रतिस्थापित किया जाता है।

12. अनुसूची-1 के सुरक्षा संवर्ग के क्र.सं.-20 सुरक्षा प्रहरी के स्वीकृत बल कॉलम में '38 (अड़तीस)' के स्थान पर '90 (नब्बे)' प्रतिस्थापित किया जाता है।

13. अनुसूची-1 के क्र.सं.-33 के बाद नया संवर्ग 'डाटा कोषांग' जोड़ा जाता है, इस डाटा कोषांग में क्र.सं.-34 डाटा इंट्री ऑपरेटर वेतन स्तर- 4 स्वीकृत बल- 40 जोड़ा जाता है।

14. अनुसूची-1 एवं 2 में शेष यथावत् रहेगा।

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्त्ती		
			प्रशासनिक संवर्ग				
2	**निदेशक**	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 13	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	02 (दो)
3	**उप सचिव**	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 12	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	11 (ग्यारह)
4	**अवर सचिव**	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 11	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	24 (चौबीस)

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्ती		
5	**प्रशाखा पदाधिकारी**	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	50%	50%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	54 (चौवन)
6	**सहायक**	समूह-ख अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 7	25%	75%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	210 (दो सौ दस)
			सुरक्षा संवर्ग				
17(क)	**प्रधान मार्शल**	समूह-क राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 11	100%	--	**बहाली की रिति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता -प्रोन्नति द्वारा :** परिषद् सचिवालय में मार्शल श्रेणी में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों में से जो मार्शल के पद पर कम से कम छः वर्ष की सेवा में रहे हों।	01 (एक)
17(ख)	**मार्शल**	समूह-ख राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 9	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	02 (दो)
18	**सहायक मार्शल**	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 6	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	11 (ग्यारह)
19	**सहायक अवर मार्शल**	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-5	100%	--	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	22 (बाईस)
20	**सुरक्षा प्रहरी**	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 3	--	100%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	90 (नब्बे)
			डाटा कोषांग				
34	**डाटा इंट्री ऑपरेटर**	समूह-ग अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर - 4	--	100%	**बहाली की रिति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता - सीधी भर्ती हेतुः** 100% खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या इंटरमीडएट परिषद् की इंटरमीडएट की योग्यता हो तथा 8000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति कम्प्यूटर पर हो। **तथा** सीधी	40 (चालीस)

क्र.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर)	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्त्ती		
						भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु नियम 9(ख) के अनुसार योग्यता हो।	

कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से ,

विनोद कुमार,

कार्यकारी सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 861-571+100-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in